

**न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अंजड़ जिला बड़वानी(म.प्र.)**

(समक्ष— श्रीमती वंदना राज पांडेय)

**दीवानी प्रकरण क्रमांक 07ए/2016**  
**संस्थित दिनांक— 12.01.2016**

पुरुषोत्तम पिता बालकृष्ण गुप्ता,  
आयु 62 वर्ष, धंधा व्यापार  
निवासी—अंजड़ जिला बड़वानी  
हा.मु. इन्दौर

.....**वादी**

**वि रु द्ध**

सर्व साधारण

....**प्रतिवादी**

वादी द्वारा	— श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।
प्रतिवादीगण	— एकपक्षीय ।

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 08/12/2016 को घोषित)**

1— वादी ने यह वाद आदेश-7 नियम-1 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपने पुत्र अक्षत उर्फ बबला के 7 वर्ष से अधिक समय से गायब होने के आधार पर उसकी सिविल मृत्यु की घोषणा के लिये प्रस्तुत किया है।

2— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के दो पुत्र मनीष गुप्ता, अक्षत उर्फ बबला और एक पुत्री श्रीमती ऋचा महाजन है। वादी की पत्नी श्रीमती पदमावती गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है। वादी का पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला आयु 26 वर्ष दिनांक 28.09.2004 को बिना बताये घर से कहीं चला गया है, जिसकी थाना अंजड़ में गुमशूदगी क्रमांक 10/2004 दिनांक 28.09.2004 पर दर्ज है। वादी द्वारा अपने पुत्र की तलाश की गई किन्तु वादी को उसके पुत्र की जीवित होने की जानकारी नहीं मिली, ना ही उसके पुत्र को देखा और ना ही उसके बारे में सुना गया, वादी का उक्त पुत्र अविवाहित था। वादी को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का बटवारा एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु अपने पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला के संबंध में उसके जीवित नहीं होने के संबंध में घोषणा की जाना आवश्यक है। वाद पेश करने की दिनांक तक अपने पुत्र के जीवित होने संबंधी उसे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है इस कारण वादी को अपने उक्त पुत्र की सिविल मृत्यु घोषणा किये जाने के लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः वादी के उक्त पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला की सिविल मृत्यु घोषित की जाये।

3— वादी उक्त वाद के समस दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के बाद भी किसी भी व्यक्ति या सर्वसाधारण ने उपस्थित होकर वाद में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रकरण में सर्वसाधारण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4— प्रकरण में निम्नलिखित वाद-प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष अंकित हैं :-

क्र.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला दिनांक 28.09.2004 से गायब होकर उसके बारे में वादी ने कुछ नहीं सुना है ?	
2	क्या अक्षत कुमार उर्फ बबला के बारे में 7 वर्ष से अधिक समय से नहीं सुने जाने के कारण उसकी सिविल मृत्यु की घोषणा की जा सकती है ?	
3	सहायता एवं व्यय ?	

### सकारण-निष्कर्ष

#### वाद-प्रश्न क्रमांक 1, 2 का निराकरण :-

5— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पुरुषोत्तम गुप्ता (वा.सा.1) का कथन है कि अक्षत कुमार उर्फ बबला उसका पुत्र है जो दिनांक 28.09.2004 को बिना बताये घर छोड़कर यही चला गया था तभी से अर्थात् 11 वर्ष 3 माह से उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना है और उसे जीवित भी नहीं देखा गया है। उसके पुत्र को उसने हर जगह तलाश किया लेकिन नहीं मिला। उसका पुत्र अविवाहित था जिसके गुम होने की सूचना उसके द्वारा दिनांक 28.09.2004 को थाना अंजड में कराई थी, जहां गुमशुदगी क्रमांक 10/2004 दर्ज किया गया। उसे अपनी चल-अचल सम्पत्ति के बटवारे में और अन्य विधिक कार्यवाही हेतु अपने पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला को वाद पेश करने की दिनांक तक कोई सूचना उसके जीवित होने के संबंध में उपलब्ध नहीं हो पाई, उसने अपने पुत्र के गुम होने के संबंध में थाना अंजड में दिनांक 28.09.2004 को दर्ज कराई थी। गुम इंसान सूचना प्रदर्श पी 1 है।

6— कमल तारे (वा.सा.2) का कथन है कि वह थाना अंजड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 19.09.2016 को गुम इंसान अक्षत कुमार उर्फ बबला पिता पुरुषोत्तम के गुम होने के संबंध में उसके पिता ने दिनांक 28.09.2004 को गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो गुम इंसान क्रमांक 10/2004 पर दर्ज की थी तथा प्रमाण पत्र की मांग की थी जिसके आधार पर दिनांक 19.03.2016 को थाना प्रभारी आर. एस. ठाकुर द्वारा प्रदर्श पी 1 का प्रमाण जारी किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह गुम इंसान रजिस्टर अपने साथ लाया है जिसमें प्रदर्श पी 2 पर अक्षत कुमार पिता बबला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जिसकी छाया प्रतिलिपि प्रदर्श पी 2 'सी' है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अक्षत कुमार उर्फ बबला के कही मिलने, जीवित होने या मृत होने के संबंध में कोई भी सूचना थाना अंजड को या अन्य थानों से प्राप्त नहीं हुई है।

7— प्रतिवादी के एक पक्षीय होने के कारण वादी की उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। वादी के कथनों की पुष्टि कमल (वा.सा.2) ने भी की है तथा प्रदर्श

पी 1 के दस्तावेज प्रस्तुत कराये है जिसका भी कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण के अभाव में नहीं हुआ है।

8— इस प्रकार वादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसका पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला दिनांक 28.09.2004 को कही चला गया है जिसके संबंध में वादी जो कि अक्षत कुमार उर्फ बबला का पिता है को कोई भी सूचना वाद प्रस्तुत दिनांक तक प्राप्त नहीं हो पाई है।

9— साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के प्रावधान अनुसार परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

10— स्पष्ट रूप से वादी का पुत्र वाद प्रस्तुति दिनांक के लगभग 11 वर्ष 3 माह के अधिक समय से गायब है और वादी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जबकि वादी अक्षत कुमार उर्फ बबला का पिता है, यदि अक्षत कुमार उर्फ बबला जीवित होता तो वादी को उसके बारे में जानकारी या सूचना अवश्य होती। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि वादी का पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला जीवित नहीं है और उसकी सिविल मृत्यु हो चुकी है।

11— अतः उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित होते हैं

### **वाद-प्रश्न क्रमांक 3 'सहायता' एवं 'व्यय' :-**

12— उक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उसके पुत्र अक्षत कुमार उर्फ बबला दिनांक 28.09.2004 से गुम हो चुका है और उसके बारे में वादी ने पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से कुछ भी नहीं सुना है। ऐसी स्थिति में अक्षत कुमार उर्फ बबला की सिविल मृत्यु हो चुकी है और वादी इस संबंध में घोषणा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर नियमानुसार डिकी पारित की जाती है —

- 1 यह घोषणा की जाती है कि अक्षत कुमार उर्फ बबला की सिविल मृत्यु हो चुकी है।
2. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए वादी अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार जोड़ा जाए।  
उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति की रचना की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अंजड  
जिला-बडवानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अंजड  
जिला-बडवानी, म.प्र.